3cपाक·आदेश/२०

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का संख्या 23/2017-18 [illegible]

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
04.07.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, चौथम थाना कांड सं०–54/ 2017,दिनांक 17.03.2017 के सन्दर्भ में प्राप्त थानाध्यक्ष, चौथम थाना के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–07.05.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1703/सी.आर.,दिनांक–10.05.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष, चौथम थाना के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। थानाध्यक्ष, चौथम थाना के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन एक नीला रंग का बिना रजिस्ट्रेशन का टेम्पु जिसके वॉडी पर अतुल जीम लिखा जिसका ईजन नं0–बी1209जे15 चेचिस नं0 स्पष्ट नहीं है एवं एक काला रंग का टेम्पु वाहन संख्या-BR-34P-3689 दिनांक–17.03.2017 को अवैध रूप से उक्त वाहन पर पीला रंग का बीस बीस लीटर का दो गैलन में 40 लीटर एवं वाहन संख्या BR-34P-3689 पर मटमेला रंग का बड़ा 5 (पॉच) गैलन में करीब 200 लीटर मिलावटी ताड़ी बरामद किया गया है। जप्ती सूची के अनुसार उक्त दोनो वाहन से अवैध रूप से मिलावटी ताड़ी से 240 लीटर मिलावटी ताड़ी बरामद किया गया है।जप्ती सूची पर थानाध्यक्ष चौथम के साथ अन्नु साह एवं साजन कुमार का हस्ताक्षर अंकित है। जप्ती सूची की एक प्रति अन्नु साह एवं साजन कुमार को हस्तगत करा दिया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत टेम्पु के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी दिनांक 08.06.2017 को अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया है। कारण पृच्छा में वाहन स्वामी ने उल्लेख	

किया है कि इस कांड में गिरफ्तार सुबोध पासवान वाहन संख्या BR-34P-3689 को भाड़े पर लिया था तथा उसने उक्त टेम्पु पर ताड़ी लोड कर नीरा उत्पादन केन्द्र तेलौछ पहुँचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अतः उनके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। वाहन स्वामी का यह तर्क पूर्णतया अस्वीकार्य है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार घटना का समय प्रातः 7.30 है अतः सूर्योदय के पश्चात नीरा का परिवहन अपने आप में संदेहास्पद है। अतः विपक्षी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वाहन वाणिज्यिक वाहन है तथा भाड़े पर चलाया जाता है। इस तर्क से विपक्षी वाहन के अपराध में शामिल रहने के प्रमाण का बचाव नहीं कर सकते है क्योंकि अन्ततः वाहन का प्रयोग गैर कानूनी कृत्य के लिए किया गया है।

उपर्युक्त प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा अन्य प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन मिलावटी ताड़ी के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त मिलावटी ताड़ी की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन मिलावटी ताड़ी के कारोबार में संलिप्त था जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR34P-3689 टेम्पु एवं एक नीला रंग का बिना रजिस्टेशन का टेम्पु जिसके वॉडी पर अतुल जीम लिखा जिसका ईजन नं0–B1209J15 चेचिस नं0 स्पष्ट नहीं है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34P-3689 टेम्पु एवं, एक नीला रंग का बिना रजिस्टेशन का टेम्पु जिसके वॉडी पर अतुल जीम लिखा जिसका ईजन नं0– B1209J15 चेचिस नं0 स्पष्ट नहीं है जो जप्त कर चौथम थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद

अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR-34P-3689 टेम्पु एवं नीला रंग का बिना रजिस्टेशन का टेम्पु जिसके वॉडी पर अतुल जीम लिखा जिसका ईजन नं0– B1209J15 चेचिस नं0 स्पष्ट नहीं है का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया